३. प्रोन्नति

[1]

पत्र संख्या-सं०सं०-11027/96-का०-41

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

रवि कान्त, सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,

सरकार के सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलायुक्त / प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राँची ।

पटना, दिनांक 11 जनवरी, 1996

विषय :- **सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों के सहायकों के संयुक्त संवर्ग के अन्तर्गत सहायकों को कालबद्ध प्रोन्नति प्रदान करने के संबंध में ।**

महोदय,

निदेशानुसार उपुर्यक्त विषय के संदर्भ में आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये कहना है कि सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों के सहायकों के संयुक्त संवर्ग के गठन के पश्चात सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों के सहायकों की संवर्ग नियमावली, 1992 जो 30 अगस्त, 1988 से प्रभावी है, के अनुसार इस संवर्ग के प्रशाखा पदाधिकारी स्तर तक के पदाधिकारियों का नियुक्ति पदाधिकारी आयुक्त एवं सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग तथा इस संवर्ग के सदस्यों का प्रशासी विभाग कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग घोषित हो गया है ।

2 - कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्र संख्या-437, दिनांक 16-7-94 के द्वारा सभी विभागों को यह सूचित किया गया कि सहायकों के कालबद्ध प्रोन्नति प्रदान करने का अधिकार कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को ही है । अत: साथ ही जिन सहायकों को कालबद्ध प्रोन्नति देय है उनके सम्बन्ध में सभी सूचना विहित प्रपत्र में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संयुक्त संवर्ग शाखा को भेजने का अनुरोध किया गया । विभागों से सूचना भी प्राप्त करायी गयी जिसके आधार पर प्रोन्नति की कार्रवाई की जा रही है ।

3 - इसके बावजूद अनेक मामले इस विभाग की जानकारी में आये हैं कि सहायक संयुक्त संवर्ग के सहायकों को कुछ विभागों द्वारा अपने स्तर से ही कालबद्ध प्रोन्नति प्रदान कर दी जा रही है, जो नियमानुसार एवं वैधिक दृष्टिकोण से मान्य नहीं है ।

4 - अत: विभागीय पत्र संख्या-437, दिनांक 16.7.94 के क्रम में यह अनुरोध है कि सहायक संयुक्त संवर्ग के सहायकों को कालबद्ध प्रोन्नति संबंधी आदेश अपने स्तर से निर्गत नहीं कर पूर्ण सूचनायें यथा अद्यतन चारित्री, आरोपों की स्थिति एवं अपने स्पष्ट मंतव्य के साथ प्रस्ताव कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को भेजा जाय ताकि प्रोन्नति संबंधी आदेश इस विभाग के स्तर से निर्गत किया जा सके ।

5 - कृपया उपर्युक्त निर्देशों का सुदृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

विश्वासभाजन,

ह०/- रवि कान्त

सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञाप संख्या-सं०सं०-41 पटना, दिनांक 11 जनवरी, 1996

प्रतिलिपि :- शाखा सचिवालय, राँची / महाधिवक्ता कार्यालय, उच्च न्यायालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/- रवि कान्त

सरकार के अपर सचिव ।

----

[2]

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

संकल्प

पटना 15, दिनांक 24 नवम्बर, 95

विषय :- **बिहार प्रशासनिक सेवा के अन्तर्गत वरीय प्रवर कोटि के वेतनमान में बि०प्र०से० के पदाधिकारियों को भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति देने के संबंध में ।**

बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग के अन्तर्गत वरीय प्रवर कोटि के वेतनमान 3700–5000/- रु० में कुल बल के 12½ प्रतिशत पद अनुमान्य हैं, परन्तु इन पदों की संख्या में आवश्यकतानुसार बढ़ोत्तरी होते रहने के कारण सरकार के स्तर पर निर्धारित नीति के अनुरूप वरीय प्रवर कोटि में प्रोन्नति के फलस्वरूप वरीय प्रवर कोटि के पदभार ग्रहण करने की तिथि से ही प्रोन्नति का लाभ देय होता है, परन्तु यह पाया गया है कि जिन पदाधिकारियों के प्रोन्नति के मामले कतिपय कारणों से लंबित रह जाते हैं, यथा आरोपों की स्थिति, चारित्री की अनुपलब्धता आदि, उन मामलों में कनीय पदाधिकारी की प्रोन्नति पहले हो जाती है । कालान्तर में, इन पदाधिकारियों को आरोपों से मुक्त कर दिया जाता है अथवा इनकी लम्बित अवधि की चारित्री उपलब्ध हो जाती है तथा अन्य जिन कारणों से इनकी प्रोन्नति रोक रखी गयी थी, वे कारण समाप्त हो जाते हैं, तब प्रोन्नति समिति द्वारा इन लंबित मामलों में प्रोन्नति की अनुशंसा की जाती है, परन्तु वरीय प्रवर कोटि में पद सुरक्षित नहीं रखे जाने के कारण प्रोन्नति समिति द्वारा उन्हें भूतलक्षी प्रभाव से भी प्रोन्नति के योग्य पाये जाने पर भी उन्हें भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति देना संभव नहीं होता है, जबकि इसके लिये संबंधित पदाधिकारी दोषी नहीं होते हैं । इस कारण बिना किसी दोष के सम्बन्धित पदाधिकारी को उनके कनीय पदाधिकारी से काफी बाद की तिथि से वरीय प्रवर कोटि में प्रोन्नति प्राप्त होती है । इस आधार पर कई पदाधिकारियों द्वारा न्यायालय में रिट याचिका भी दायर किया जाता रहा है जिसमें उच्च न्यायालय का आदेश होता रहा है कि उनसे कनीय को दी गयी प्रोन्नति की तिथि से उन्हें प्रोन्नति दी जाय । लेकिन इस बिन्दु पर एक नीतिगत निर्णय नहीं होने के कारण अन्य पदाधिकारी इस लाभ से वंचित रह जाते हैं ।

2 - उपरोक्त वर्णित परिस्थिति में राज्य ने सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया है कि इस संकल्प की कंडिका-1 में वर्णित स्थिति के अनुरूप वैसे वरीय पदाधिकारी को उनसे कनीय पदाधिकारी द्वारा वास्तविक रूप से पदभार ग्रहण करने की तिथि के प्रभाव से वरीय प्रवर कोटि में प्रोन्नति के फलस्वरूप वेतन का निर्धारण किया जायेगा, परन्तु उक्त तिथि तथा वरीय पदाधिकारी द्वारा वरीय प्रवर कोटि के पद पर वास्तविक रूप से पदभार ग्रहण करने की तिथि के बीच की अवधि के लिये कोई भुगतान अनुमान्य नहीं होगा । लेकिन उक्त अवधि की गणना वेतनवृद्धि, कालावधि आदि के लिये की जायेगी, परन्तु यह सुविधा उन पदाधिकारियों के लिये अनुमान्य नहीं होगी, जो इस संकल्प की कंडिका-1 में वर्णित कारणों के अलावे किसी अन्य कारणवश प्रोन्नति बाधित रहने के पश्चात् कालान्तर में प्रोन्नति पाये हों, तथा प्रोन्नति में विलम्ब के लिये स्वयं दोषी हों, अथवा इसके कारण वरीय प्रवर कोटि में बिना प्रोन्नति पाये ही सेवानिवृत्त हो चुके हों ।

आदेश :- **आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी सम्बन्धितों को दे दी जाय तथा इसका प्रकाशन राजकीय गजट के असाधारण अंक में किया जाय ।**

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह०/- के० अरुमुगम
आयुक्त एवं सचिव ।

ज्ञाप संख्या-14/बी-528/94का०-10793 पटना-15, दिनांक 24 नवम्बर, 1995 ।

प्रतिलिपि :- अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को राजकीय गजट के असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित । अनुरोध है कि इसकी 500 प्रतियाँ इस विभाग को अविलम्ब उपलब्ध करायी जाय ।

ह०/- के० अरुमुगम
आयुक्त एवं सचिव ।

ज्ञाप संख्या-14/बी-528/94 का०-10793 पटना-15, दिनांक 24 नवम्बर, 1995 ।

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, पटना / सदस्य, राजस्व पर्षद, बिहार, पटना / कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के सभी प्रशाखाओं को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित ।

ह०/- के० अरुमुगम
आयुक्त एवं सचिव ।

---

[3]

बिहार सरकार
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग
संकल्प

पटना-15, दिनांक 20 मई, 1995

विषय :- **बि०प्र०से० संवर्ग के सुपर टाईम श्रेणी-III के पदाधिकारियों को सरकार के विशेष सचिव का दर्जा प्रदान करने के संबंध में ।**

बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग के कुल बल के आधा प्रतिशत के पदाधिकारियों को सुपर टाईम श्रेणी-II (वेतनमान 4500-150-5700/-) एवं सुपर टाईम श्रेणी-III (वेतनमान 5100-150-5700-200-6300/-) में प्रोन्नति दी जाती है तथा इन्हें अपर सचिव के रूप में पदस्थापित किया जाता है । सुपर टाईम श्रेणी-II में वर्त्तमान में 10 पद एवं सुपर टाईम श्रेणी-III में 5 पद स्वीकृत हैं ।

2 - बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों को अभी तक विशेष सचिव के पदों पर पदस्थापन का लाभ नहीं मिलता है । सुपर टाईम श्रेणी-II एवं श्रेणी-III का अलग-अलग वेतनमान है तथा सुपर टाईम श्रेणी-II से सुपर टाईम श्रेणी-III का वेतनमान बेहतर है । लेकिन इन दोनों वेतनमानों में पदस्थापित पदाधिकारियों को एक ही स्तर (अपर सचिव) का दर्जा दिया गया है, जो उचित प्रतीत नहीं होता है । बिहार प्रशासनिक सेवा संघ ने भी सुपर टाईम श्रेणी-III के पदों को विशेष सचिव का दर्जा देने की मांग की है ।

3 – सरकार ने सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया है कि सुपर टाईम श्रेणी-III (वेतनमान 5100-150-5700- 200-6300/-) में पूर्व से स्वीकृत 5 पदों को सरकार के विशेष सचिव तथा सुपर टाईम श्रेणी-II (वेतनमान 4500-150-5700/-) में स्वीकृत 10 पद पूर्व की भाँति सरकार के अपर सचिव के नाम से पदनामित किया जाय। तदुनसार बि०प्र०से० संवर्ग के सुपर टाईम श्रेणी-III (वेतनमान 5100-150-5700-200-6300/-) के स्वीकृत 5 पदों को सरकार के विशेष सचिव के रूप में पदनामित किया जाता है। सुपर टाईम श्रेणी-II (वेतनमान 4500-150-5700/-) में स्वीकृत 10 पद पूर्व की भाँति अपर सचिव का रहेगा।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के साधारण अंक में अविलम्ब प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सरकार के सभी विभागों / विभागाध्यक्षों / महालेखाकार, बिहार, पटना / रांची / सभी प्रमण्डलीय आयुक्तों/ सभी जिला पदाधिकारियों / सभी उपायुक्तों को सूचनार्थ दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह०/- एस०एन० विश्वास
आयुक्त एवं सचिव।

ज्ञाप संख्या - 3576 पटना-15, दिनांक 20.5.95

प्रतिलिपि :- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के साधारण अंक में प्रकाशन करने हेतु अग्रसारित। उनसे अनुरोध है कि इस संकल्प की एक हजार प्रतियाँ कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को शीघ्र उपलब्ध कराये जायें।

ह०/- एन०पी० माथुर
सरकार के उप सचिव।

ज्ञाप संख्या - 3576 पटना -15, दिनांक 20.5.95

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, पटना, रांची / सरकार के सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमण्डलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी / सभी उपायुक्त को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

ह०/- एन०पी० माथुर
सरकार के उप सचिव।

[4]

पत्र संख्या-सं०सं०-1401/94-का०-437

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

श्री बी०के० श्रीवास्तव, सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,

सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमण्डलायुक्त / प्रधान मुख्य वन संरक्षक, रांची / महाधिवक्ता का कार्यालय, बिहार ।

पटना-15, दिनांक 16 जुलाई, 1994

विषय :- **सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों के सहायक संयुक्त संवर्ग के अनतर्गत सहायकों को प्रथम एवं द्वितीय कालबद्ध प्रोन्नति प्रदान करने के सम्बन्ध में ।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे कहना है कि सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों के सहायकों का संयुक्त संवर्ग नियमावली, 1992 के नियम-11 के प्रावधान के अनुसार संवर्ग के सभी श्रेणी के पदों का प्रशासी विभाग कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग है एवं नियमावली के नियम-1 (2) के तहत दिनांक-30.8.88 से सहायकों की नियुक्ति एवं प्रोन्नति से संबंधित सभी कार्य सहायक संयुक्त संवर्ग (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग) के अन्तर्गत किया जा रहा है ।

सहायकों को प्रथम एवं द्वितीय कालबद्ध प्रोन्नति का कार्य नियमत: सहायक संयुक्त संवर्ग द्वारा दिनांक 30-8-88 से किया जाना है । अत: अपने अधीनस्थ विभाग / कार्यालयों में कार्यरत सहायकों को प्रथम / द्वितीय कालबद्ध प्रोन्नति प्रदान करने हेतु संलग्न प्रपत्र में वांछित सूचना शीघ्र भेजने की व्यवस्था की जाय ताकि शीघ्रता से आगे की कार्रवाई की जा सके । इसे उच्च प्राथमिकता दिया जाय ।

विश्वासभाजन,

ह०/- बी०के० श्रीवास्तव

सरकार के अपर सचिव ।

विहित प्रपत्र

विभाग का नाम :-

क्र. सं०	सहायक का नाम	वरीयता क्रमांक	जन्म-तिथि	योगदान की तिथि	सम्पुष्टि की तिथि	आरोप है या नहीं	विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण / अनुत्तीर्ण
1	2	3	4	5	6	7	8

चारित्री (वर्ष 1993-94 तक)
9

सक्षम नियंत्रक पदाधिकारी का हस्ताक्षर
पदनाम एवं विभाग ।

[5]

पत्र संख्या-3/एम-2077/91 (खण्ड) का०-2786

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

श्री अरुण पाठक, मुख्य सचिव, बिहार ।

सेवा में,

सभी आयुक्त एवं सचिव / सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमण्डल आयुक्त /सभी जिलाधिकारी / उपायुक्त।

पटना - 15, दिनांक 19 मार्च, 1993

विषय :- **संवर्ग प्रबंधन की दृष्टि से प्रशासनिक प्रक्रिया को इस प्रकार युक्ति-युक्त बनाना (रेशनालाइज) ताकि सरकारी सेवकों को रिक्ति की तिथि से ही प्रोन्नति का लाभ प्राप्त हो सके ।**

प्रसंग :- कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग का समविषयक परिपत्र संख्या 104 दिनांक 9.1.92 ।

महाशय,

निदेशानुसार कहना है कि प्रशासनिक दक्षता के निर्वहन एवं समुचित संवर्ग प्रबंधन की दृष्टि से यह अपेक्षित है कि प्रोन्नति द्वारा भरे जाने वाले रिक्त पदों पर सरकारी सेवकों को रिक्ति की तिथि से ही प्रोन्नति का लाभ मिले । इस विषय पर पूर्व में प्रसंगाधीन परिपत्र की भावना के संबंध में कुछ भ्रांतियाँ उत्पन्न हो गयी हैं । इस परिपत्र का अर्थ यह लगाया जा रहा है कि यदि प्रक्रियात्मक कारणों से प्रोन्नति संबंधी आदेश निर्गत करने में विलंब हो तब भी रिक्ति की तिथि से भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति दी जा सकती है । प्रसंगाधीन परिपत्र का ऐसा आशय क़दापि नहीं था ।

2 - वस्तुत: वह परिपत्र निर्गत ही इस उद्देश्य से किया गया था कि प्रोन्नति में होने वाले प्रक्रियात्मक विलम्ब को समाप्त करने के लिये आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई सभी स्तरों पर की जा सके ताकि प्रोन्नति का लाभ रिक्ति की तिथि से दिया जा सके । उस परिपत्र को भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति दिये जाने का आदेश नहीं समझा जाय । भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति दिये जाने के मामले वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में ही विचारित किये जायेंगे ।

3 - पुन: स्पष्ट किया जाता है कि प्रशासनिक प्रक्रिया को युक्ति-युक्त बनाने के उद्देश्य से कुछ महत्त्वपूर्ण बिन्दुओं पर कार्रवाई करना आवश्यक है, जिनकी चर्चा नीचे की जा रही है :-

(i) प्रत्येक वर्ष अगले वर्ष में सेवानिवृत्ति इत्यादि से होने वाली रिक्तियों की गणना वर्ष के प्रारंभ में करते हुए समयानुसार प्रोन्नति देने हेतु सरकारी सेवकों का अग्रिम पैनल बनाने की कार्रवाई की जाय ।

(ii) प्रोन्नति के अग्रिम पैनल को बनाते समय प्रोन्नति देने के पूर्व की सभी प्रशासनिक एवं वैधानिक अनिवार्यताओं, जैसे :- रोस्टर क्लीयरेन्स, निगरानी स्वच्छता प्रमाण, विभागीय स्वच्छता प्रमाण-पत्र, कालावधि, वरीयता आदि का पालन निश्चित रूप से किया जाना चाहिये ।

(iii) सरकार ने हाल में रोस्टर क्लीयरेन्स से संबंधित प्रक्रिया को भी स्वीकृत किया है । शीघ्र ही परिपत्र निर्गत किया जायेगा । इसके उपरान्त रोस्टर क्लीयरेन्स में होने वाला विलम्ब भी कम हो जाना चाहिये ।

(iv) विभागीय प्रोन्नति समिति / लोक सेवा आयोग की अनुशंसा यथासमय प्राप्त करना चाहिये ताकि अग्रिम पैनल तैयार किया जा सके ।

4 - भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति तथा प्रोन्नति के आर्थिक लाभों के संबंध में वित्त विभाग के परिपत्र के प्रावधान पूर्व की भाँति लागू रहेंगे, तथापि प्रयास यह होना चाहिये कि प्रोन्नतियाँ सही समय पर दे दी जायँ ।

विश्वासभाजन,
ह०/- अरुण पाठक
मुख्य सचिव, बिहार ।

---

[6]

पत्र संख्या-9/सं०सं०1-303/89 का०-148

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

श्री विजय शंकर दुबे, सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में, महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना ।

द्वारा - वित्त विभाग । (अनौपचारिक रूप से परामर्शित)

पटना - 15, दिनांक 27 जनवरी, 1993

विषय :- कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन निजी सहायकों के संयुक्त संवर्ग के निजी सहायकों के कालबद्ध प्रोन्नति के फलस्वरूप वेतनमान का निर्धारण ।

महाशय,

निदेशानुसार कहना है कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन निजी सहायक के संयुक्त संवर्ग के निजी सहायकों के प्रथम एवं द्वितीय कालबद्ध प्रोन्नति के फलस्वरूप देय वेतनमानों का मामला सरकार के विचाराधीन था । सरकार ने पूर्ण विचारोपरान्त निजी सहायक संवर्ग के विभिन्न कोटि के पदों के विरुद्ध देय वेतनमानों के संबंध में निम्नलिखित निर्णय लिया है :-

(क) निजी सहायक संवर्ग का कनीय प्रवर कोटि का वेतनमान 1800-3330 रु० निर्धारित किया जाय । यह वेतनमान प्रथम कालबद्ध प्रोन्नति के लिये लागू रहेगा ।

(ख) वरीय प्रवर कोटि (निजी सहायक संवर्ग के) का वेतननमान 2000-3800 रु० निर्धारित किया जाय क्योंकि 2000-3500 रु० एक सब-स्केल है जिसे प्रवर कोटि के रूप में मान्यता नहीं है ।

(ग) सुपर टाइम स्केल (ढाई प्रतिशत) का वेतनमान 2400-4150 रु० रखा जाय, क्योंकि 2200-4000 रु० सब-स्केल है ।

(घ) वरीय निजी सहायकों तथा आप्त सचिवों का वेतनमान पूर्ववत क्रमशः 2000-3500 रु० एवं 2000-3800 रु० रहेगा ।

(ङ) प्रथम कालबद्ध प्रोन्नति 1800-3330 रु० के वेतनमान में तथा द्वितीय कालबद्ध प्रोन्नति 2000-3800 रु० के वेतनमान में देय होगी ।

(च) प्रथम कालबद्ध प्रोन्नति से वरीय निजी सहायकों की श्रेणी में वित्त विभाग के संकल्प सं०-2607 दिनांक 9.5.91 के अनुसार प्रोन्नति का लाभ देय होगा ।

यह आदेश पुनरीक्षित वेतनमान के लागू होने की तिथि अर्थात् 1-1-1986 से प्रभावी होगा ।

विश्वासभाजन,
ह०/- विजय शंकर दुबे
सरकार के संयुक्त सचिव ।

---

[7]

पत्र संख्या-3/एम 1-2077/ 91 (खण्ड) का० 104

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

श्री अरुण पाठक, मुख्य सचिव, बिहार ।

सेवा में,

सभी आयुक्त एवं सचिव / सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमण्डलीय आयुक्त / सभी जिलाधिकारी / उपायुक्त

पटना-15, दिनांक 9 जनवरी, 1992

विषय :- प्रशासनिक प्रक्रिया को 'रैशनलाइज' कर रिक्ति की तिथि से प्रोन्नति दिये जाने के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार कहना है कि सरकार की यह मंशा रही है कि प्रोन्नति के द्वारा भरे जाने वाले रिक्त पदों पर योग्य सरकारी सेवकों को रिक्ति की तिथि से प्रोन्नति दी जाय ताकि उनकी प्रोन्नति के पद के वेतनमान का समुचित और ससमय आर्थिक लाभ प्राप्त हो सके परन्तु कतिपय औपचारिकताओं का निर्वाह करने में विलम्ब होने के फलस्वरूप कई सचिवालय विभागों एवं सम्बद्ध कार्यालयों तथा क्षेत्रीय कार्यालयों में प्रोन्नति संबंधित आदेश रिक्ति के कई माह / वर्ष के उपरान्त निर्गत होता है जिसके फलस्वरूप प्रोन्नति योग्य सरकारी सेवक, रिक्ति की तिथि से प्रोन्नति के वेतनमान का आर्थिक लाभ से वंचित हो जाते हैं, जिसका प्रभाव उनके कार्य और मनोबल पर पड़ता है ।

2. कर्मचारी / पदाधिकारी संघों के द्वारा भी सरकार का ध्यान इस संबंध में आकर्षित कराया गया है ।

आप अवगत हैं कि प्रोन्नति से संबंधित प्रशासनिक प्रक्रिया को सुविधापूर्ण बनाये जाने के लिये सभी सम्वर्गों का सेवा नियमावली और वरीयता सूची बनाये जाने के संबंध में पूर्व में आदेश निर्गत किया गया है तथा प्रत्येक अगले वर्ष में सेवानिवृत्ति इत्यादि से उत्पन्न होने वाले रिक्तियों की गणना वर्ष के पूर्व किये जाने के संबंध

में कार्रवाई अपेक्षित रहता है। इसके अतिरिक्त अब राजपत्रित पदों के प्रवर कोटि के पदों के कई स्तरों पर लोक सेवा आयोग की अनुशंसा की अनिवार्यता को समाप्त करने के लिये लोक सेवा आयोग (कार्य सीमन) नियमावली में संशोधन किया गया है तथा विभिन्न प्रकृति के विभाग समूहों के लिये विभागीय प्रोन्नति समिति गठित कर दी गयी है। क्षेत्रीय स्तरों पर प्रोन्नति समिति पूर्व में गठित है। रोस्टर क्लियरेंस के अन्तर्गत मामले लंबित नहीं रहें, इसके लिये आवश्यक कार्रवाई की गयी है। सरकार यह भी निर्णय लेने का विचार रखती है कि यदि विभिन्न विभागों के रोस्टर क्लियरेंस से संबंधित मामलों को कार्मिक विभाग से वापस किये जाने में 3 माह से अधिक विलम्ब होगा तो संबंधित विभाग अपने स्तर पर प्रोन्नति के संबंध में निर्णय ले सकेगा। इस संबंध में वांछित परिपत्र निर्गत किया जायेगा।

इस प्रकार प्रोन्नति से संबंधित प्रक्रिया को 'रैशनलाईज' करने के लिये आदेश दिये जाने के बावजूद रिक्ति की तिथि से प्रोन्नति नहीं दिये जाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है।

3- सरकार ने इस संबंध में पूर्ण विचार कर निदेश दिया है कि रिक्ति की तिथि से प्रोन्नति दिये जाने हेतु अग्रिम कार्रवाई कर योग्य पदाधिकारियों का पैनेल तैयार कर लिया जाय ताकि योग्य सरकारी सेवकों को रिक्ति की तिथि से प्रोन्नति और प्रोन्नति का समुचित और ससमय आर्थिक लाभ प्राप्त हो सके। ज्ञातव्य है कि ऐसा करने के लिये संवर्ग नियमावली बनाकर प्रोन्नति का प्रतिशत और अर्हतायें निर्धारित करना, वरीयता सूची तैयार करना, स्वच्छता प्रमाण-पत्र प्राप्त करना, प्रोन्नति के लिये उपलब्ध पदों का रोस्टर क्लियर करना और समय पर विभागीय प्रोन्नति समिति / लोक सेवा आयोग की अनुशंसा प्राप्त कर योग्य सरकारी सेवकों का पैनेल पूर्व से तैयार रखना आवश्यक है।

4 - इसी संदर्भ में सरकार ने यह भी निदेश दिया है कि ऐसे मामले जिनमें कार्यहित के लिये उपरोक्त रूप से योग्य सरकारी सेवक ने उच्च पद का प्रभार ग्रहण किया है और औपचारिक प्रोन्नति के आदेश के अभाव में उनको नीचे के पद का वेतनमान दिया गया है वहाँ वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 1082 दिनांक 22.2.88 के आलोक में आर्थिक सुविधा प्रदान करने की कार्रवाई की जाय।

विश्वासभाजन,
ह०/- अरुण पाठक
मुख्य सचिव, बिहार।

---

[8]

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

अधिसूचना

11 जुलाई, 1991

संख्या 7/पी०एस०सी०-3-103/90 (खंड)-का०--9076--मंत्रिमंडल सचिवालय की अधिसूचना संख्या सी०एस०आर०-1140, दिनांक 22 जून, 1990 द्वारा नागरिक विमानन विभाग का गठन किया गया है।

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या 7/पी०एस०सी०-3-101/88-का०2653, दिनांक 28 फरवरी, 1989 जिसके द्वारा विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन तथा उनकी कार्य प्रणाली के निरूपण

के संबंध में निर्णय लिया गया है, के अनुसरण में नागरिक विमानन विभाग की विभागों के समूह ''घ'' सेवा विभाग में रखा जाता है तथा विभागीय प्रोन्नति समिति का निम्न प्रकार से गठन किया जाता है :-

समूह ''घ'' सेवा विभाग		गठित विभागीय प्रोन्नति समिति
नागरिक विमानन विभाग	(1)	अध्यक्ष, लोक उद्यम ब्यूरो–अध्यक्ष
		सदस्यगण
	(2)	सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग
	(3)	सचिव, स्वास्थ्य विभाग
	(4)	संबंधित प्रशासी विभाग, जिसके प्रशासनाधीन सेवा / संवर्ग के पदों के संबंध में विचार होना हो, उस विभाग के सचिव बशर्ते कि वे अलग से इस समिति के सदस्य न हों ।
	(5)	कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के एक पदाधिकारी जो संयुक्त सचिव से न्यूनतर न हो ।
	(6)	कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा मनोनीत अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के एक पदाधिकारी जो संयुक्त सचिव से न्यूनतर पंक्ति के न हों ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
सदानन्द सिन्हा
सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक 7/पी०एस०सी०-3-103/90 (खंड) - का० – 9076 पटना, दिनांक 11 जुलाई, 1991

प्रतिलिपि :- अध्यक्ष, लोक उद्यम ब्यूरो, वित्त विभाग, बिहार , पटना / सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार, पटना / सचिव, स्वास्थ्य विभाग / सचिव, नागरिक विमानन विभाग, बिहार, पटना / निदेशक-सह-विशेष सचिव, नागरिक विमानन विभाग, सिविल एरोड्राम, पटना-14 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

2. समूह ''घ'' सेवा विभागों के विभागीय प्रोन्नति समितियों में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्र संख्या 25, दिनांक 2 जनवरी, 1991 द्वारा श्री भानु प्रताप शर्मा, अपर-सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को प्रतिनिधि के रूप में मनोनीत किया गया है ।

सदानन्द सिन्हा,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक 7/पी०एस०सी०-3-103/90 (खंड)-का०-9076 पटना-15, दिनांक 11 जुलाई, 1991

प्रतिलिपि :- श्री भानु प्रताप शर्मा, अपर-सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को सूचनार्थ प्रेषित ।

सदानन्द सिन्हा,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

[9]

पत्र संख्या - 7/पी०एस०सी०-3-103/90 (खंड) का०-25

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

श्री हर्ष वर्धन, सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / अध्यक्ष, लोक उद्यम ब्यूरो, पटना।

पटना-15, दिनांक 2 जनवरी, 1991

विषय :- विभागीय प्रोन्नति समिति में तथा बिहार सरकार के विभिन्न विभागों के अन्तर्गत लोक उपक्रमों में नियुक्ति / प्रोन्नति हेतु गठित समितियों / उच्च स्तरीय चयन समितियों में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के प्रतिनिधि के रूप में पदाधिकारियों का मनोनयन।

महाशय,

निदेशानुसार कहना है कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा निर्गत संकल्प संख्या 2653, दिनांक 28 फरवरी, 1989 के कंडिका-2 में "विभागीय प्रोन्नति समितियों" के गठन तथा उनकी कार्यप्रणाली के संबंध में पूर्ण विचार कर राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिया जा चुका है :

1 - बिहार लोक सेवा आयोग (कार्य सीमन) विनियमावली, 1957 के विनियम-7 में जो संशोधन किया गया है, यह सिर्फ राज्य सेवाओं / संवर्गों के लिए लागू होगा अर्थात् राज्य सेवाओं / संवर्गों के बाहर जो अन्य पद हैं, उनमें यथावत पहले की भाँति जहां आवश्यक हो, लोक सेवा आयोग की अनुशंसा प्राप्त की जायगी। उसी प्रकार उपर्युक्त संशोधन के फलस्वरूप विभिन्न राज्य सेवाओं / संवर्गों के जिन पदों पर नियुक्ति / प्रोन्नति का मामला लोक सेवा आयोग के दायर से बाहर नहीं गया है उन पदों पर भी पहले की भाँति जहाँ आवश्यक हो, लोक सेवा आयोग की अनुशंसा प्राप्त की जायगी। संशोधित नियमावली बिहार न्यायिक सेवा के बारे में लागू नहीं होगी।

2 - विभागीय प्रोन्नति समितियों के गठन के प्रयोजनार्थ सरकार के विभागों को चार समूहों में विभक्त किया गया है। प्रत्येक समूह के विभागों के लिए अलग-अलग विभागीय प्रोन्नति समिति / समितियाँ गठित की गयी हैं। सम्प्रति सभी विभागों के अधीन अलग सेवा / संवर्ग नहीं है। कुछ ही विभागों के अधीन सेवा तथा संवर्ग है, अतः कालक्रम में समूह के किसी विभाग के अधीन सेवा संवर्ग गठित होने तक संबंधित कार्मिकों की नियुक्ति / प्रोन्नति के मामले में संबंधित समूह के लिए गठित विभागीय प्रोन्नति समिति राज्य सरकार को अनुशंसा देने लिए सक्षम होगी।

विभागीय समूहन तथा विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन संबंधी सूची (परिशिष्ट "ग") इसके साथ संलग्न की जा रही है।

2. अतः उपर्युक्त के आलोक में सूचित करना है कि प्रत्येक विभाग समूह के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति में तथा विभाग समूह में अंकित प्रत्येक विभागों / अधीनस्थ लोक उपक्रमों की विभागीय प्रोन्नति समितियों / उच्चस्तरीय प्रोन्नति समितियों में निम्नांकित पदाधिकारियों को कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के प्रतिनिधि के रूप में मनोनीत किया जाता है :-

1. श्री भानु प्रताप शर्मा अपर सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग	1. विनियंत्रण संबंधी विभाग (समूह "क") तथा सेवा विभाग (समूह "घ")

2. **श्री हर्षवर्धन** **संयुक्त सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग**	2. कार्य विभाग (समूह "ख")
3. श्री हेम नारायण कंठ संयुक्त सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग	3. विकासात्मक विभाग (समूह "ग")

उपर्युक्त संबंध में पूर्व में निर्गत पत्र / पत्रों को अनुक्रमित समझा जाय ।

विश्वासभाजन,
ह०/- हर्षवर्धन
सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक-7/पी०सी०सी०-103/90 (खंड)-का०-25 दिनांक 2 जनवरी, 1991

प्रतिलिपि :- श्री भानु प्रताप शर्मा, संयुक्त सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना / श्री हर्षवर्धन, संयुक्त सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना / श्री हेम नारायण कंठ, संयुक्त सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

ह०/- हर्षवर्धन
सरकार के संयुक्त सचिव ।

परिशिष्ट - "ग"

विभागों का समूहन तथा विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन ।

समूह "क" – विनियंत्रण संबंधी विभाग	गठित विभागीय प्रोन्नति समिति
1. मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग (निगरानी, निर्वाचन, प्रोटोकोल तथा मुख्यमंत्री सचिवालय सहित)	(क) 1. सदस्य, राजस्व पर्षद - अध्यक्ष सदस्यगण
2. गृह विभाग	2. सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग
3. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग	3. सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग
4. राजभाषा विभाग	4. संबंधित विभाग जिसके प्रशासनाधीन सेवा / संवर्ग के पदों के संबंध में विचार होना है उस विभाग के सचिव, बशर्ते कि वे अलग से इस समिति का सदस्य न हो ।
5. संसदीय कार्य विभाग	5. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के एक पदाधिकारी जो संयुक्त सचिव से निम्नतर के न हों ।
6. वित्त विभाग	6. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा मनोनीत अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के पदाधिकारी जो संयुक्त सचिव से न्यूनतर पंक्ति के न हों ।

7. खान एवं भूतत्व विभाग
8. परिवहन एवं नागरिक उड्डयन विभाग
9. सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग
10. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
11. उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग
12. साहाय्य एवं पुनर्वास विभाग
13. विधि विभाग

समूह "ख" - कार्य विभाग

1. जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई सहित)
2. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग
3. पथ निर्माण विभाग
4. भवन निर्माण एवं आवास विभाग
5. ग्रामीण विकास विभाग (केवल ग्राम्य अभियंत्रण संगठन)

(ख) परन्तु बिहार प्रशासनिक सेवा के सुपर टाइम श्रेणी-II एवं III तथा बिहार आरक्षी सेवा के वरीय प्रवर कोटि के आरक्षी उपाधीक्षक के पदों के विभागीय प्रोन्नति समिति निम्न प्रकार गठित होगी –

1. मुख्य सचिव - अध्यक्ष

सदस्यगण

2. सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग
3. मुख्य सचिव द्वारा मनोनीत 7300-7600 रु० वेतनमान में भा०प्र०से० के दो पदाधिकारी
4. सचिव, गृह विभाग (केवल आरक्षी उपाधीक्षक के लिए)
5. आरक्षी महानिदेशक (केवल आरक्षी उपाधीक्षक के लिए)
6. कार्मिक विभाग द्वारा मनोनीत अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के एक पदाधिकारी जो संयुक्त सचिव के न्यूनतर पंक्ति के न हों।

गठित विभागीय प्रोन्नति समिति

1. सचिव, जल संसाधन विभाग - अध्यक्ष

सदस्यगण

2. सचिव, पथ निर्माण विभाग
3. सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग
4. अभियंता प्रमुख, भवन निर्माण एवं आवास विभाग
5. संबंधित प्रशासी विभाग, जिसके प्रशासनाधीन सेवा / संवर्ग के पदों के संबंध में विचार होना है उस विभाग के सचिव बशर्ते कि वे अलग से इस समिति के सदस्य न हों।
6. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के एक पदाधिकारी जो संयुक्त सचिव से न्यूनतर न हों।
7. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा मनोनीत अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के एक पदाधिकारी जो संयुक्त सचिव से न्यूनतर पंक्ति के न हों।

समूह "ग" विकासात्मक विभाग

1. योजना एवं विकास विभाग
2. ग्रामीण विकास विभाग (ग्राम्य अभियंत्रण संगठन रहित)
3. नगर विकास विभाग
4. विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग
5. औद्योगिक विकास विभाग
6. ईख विभाग
7. वन एवं पर्यावरण विभाग
8. कृषि विभाग
9. सहकारिता विभाग
10. पशुपालन एवं मत्स्य पालन विभाग
11. ऊर्जा विभाग
12. पर्यटन विभाग
13. 20-सूत्री कार्यक्रम विभाग

समूह "घ" - सेवा विभाग

1. मानव संसाधन विकास विभाग
2. स्वास्थ्य विभाग
3. चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग
4. परियोजना एवं सांस्थिक वित्त विभाग
5. श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग
6. खाद्य, आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग

गठित विभागीय प्रोन्नति समिति

1. कृषि उत्पादन आयुक्त - अध्यक्ष

सदस्यगण

2. सचिव, सहकारिता विभाग
3. सचिव, पशुपालन एवं मत्स्य विभाग
4. सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग
5. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के एक पदाधिकारी जो संयुक्त सचिव से न्यूनतर न हों।
6. संबंधित प्रशासी विभाग, जिसके प्रशासनाधीन सेवा / संवर्ग के पदों के संबंध में विचार होना है उस विभाग के सचिव बशर्ते कि वे अलग से इस समिति के सदस्य न हों।
7. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा मनोनीत अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के एक पदाधिकारी जो संयुक्त सचिव से न्यूनतर पंक्ति के न हों।

गठित विभागीय प्रोन्नति समिति

1. अध्यक्ष, लोक उद्यम ब्यूरो - अध्यक्ष

सदस्यगण

2. सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग
3. सचिव, स्वास्थ्य विभाग
4. संबंधित प्रशासी विभाग, जिसके प्रशासनाधीन सेवा / संवर्ग के पदों के संबंध में विचार होना हो, उस विभाग के सचिव बशर्ते कि वे अलग से इस समिति के सचिव न हों।
5. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के एक पदाधिकारी जो संयुक्त सचिव से न्यूनतर न हों।
6. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा मनोनीत अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के एक पदाधिकारी जो संयुक्त सचिव से न्यूनतर पंक्ति के न हों।

[10]

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

ज्ञाप सं०-7/पी०एस०सी० 3-101/88 का०-5305 पटना, दिनांक 16 मई, 1990

सेवा में,

सरकार के सभी विभागीय सचिव, सभी विभागाध्यक्ष ।

विषय :- विभिन्न राज्य सेवाओं / संवर्गों के पदों पर नियुक्ति / प्रोन्नति के निमित्त विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन–समिति के अध्यक्ष के संबंध में ।

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या 7 / पी०एस०सी० 3-101/88 का०-2653, दिनांक 28-2-1989 द्वारा विभिन्न राज्य सेवाओं / संवर्गों के जिन पदों पर नियुक्ति / प्रोन्नति के मामले बिहार लोक सेवा आयोग के दायरे से बाहर रखे गये हैं, उन पदों पर नियुक्ति / प्रोन्नति के निमित्त चयन / अनुशंसा करने हेतु "विभागीय प्रोन्नति समिति" का गठन तथा उसकी कार्यप्रणाली का निरूपण किया गया है । संकल्प के परिशिष्ट "ग" में सरकार के सभी विभागों को विभिन्न समूहों में विभिक्त करते हुए हर विभाग के लिए एक-एक विभागीय समिति भी गठित की गयी है । उक्त संकल्प के अनुसार विभागों का समूहन और समिति का जो गठन किया गया है उसमें प्रत्येक समिति हेतु एक-एक अध्यक्ष मनोनीत किये गये हैं । परन्तु उस समय यह ध्यान नहीं रखा जा सका कि भविष्य में ऐसा हो सकता है कि यदि मनोनीत अध्यक्ष कनीय रहें और दूसरे सदस्य उनसे वरीय रहें तो ऐसी स्थिति में बैठक आयोजित करने में कठिनाई उत्पन्न हो सकती है ।

अत: ऐसी परिस्थिति के निराकरण हेतु विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक समूहन में, जो भी विभागीय सचिव सदस्य मनोनीत किये गये हैं, उनमें से वरीयतम सचिव उस समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे ।

ह०/- ए०यू० शर्मा
मुख्य सचिव, बिहार ।

ज्ञाप सं०-7/पी०एस०सी० 3-101/88 का० 5305 पटना, दिनांक 16 मई, 1990

प्रतिलिपि :- बिहार लोक सेवा आयोग / बिहार राज्य अवर सेवा चयन पर्षद / उच्च न्यायालय, पटना / महालेखाकार, बिहार, पटना एवं रांची / कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के सभी प्रशाखाओं को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित ।

ह०/- हर्ष वर्धन
सरकार के संयुक्त सचिव ।

[11]

पत्र संख्या-10/परी०-1805/89-का० 343

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

श्री राम बिहारी झा, सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमण्डलीय आयुक्त / प्रधान मुख्य वन संरक्षक, रांची ।

पटना-15, दिनांक 3-4-1989

विषय :- सचिवालय सहायक संयुक्त संवर्ग निर्माण के क्रम में सहायक संवर्ग में रुकी हुई कालबद्ध प्रोन्नति के संबंध में ।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय पर अधोहस्ताक्षरी को कहना है कि सचिवालय सहायक संयुक्त संवर्ग निर्माण के क्रम में सहायक संवर्ग में विभाग द्वारा दी जा रही कालबद्ध प्रोन्नति रुक गयी है । फलस्वरूप कई विभागों / कार्यालयों से बराबर कार्मिक विभाग से पूछा जाने लगा कि प्रशासी विभाग द्वारा सहायक संवर्ग में कालबद्ध प्रोन्नति दी जा सकती है या नहीं ? इस विषय-बिन्दु पर भली-भाँति विचारोपरान्त सरकार ने निर्णय लिया है कि कालबद्ध प्रोन्नति नियमित प्रोन्नति नहीं होने के कारण इससे किसी की वरीयता प्रभावित नहीं होती है । अत: प्रशासी विभाग द्वारा सहायक संवर्ग में कालबद्ध प्रोन्नति दी जा सकती है । इस प्रकार जो भी प्रोन्नतियाँ दी जाय उनके आदेश की प्रति कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को भी प्रेषित की जायँ ।

विश्वासभाजन,

ह०/- राम बिहारी झा

सरकार के संयुक्त सचिव ।

---

[12]

बिहार गजट का पूरक

प्राधिकार द्वारा प्रकाशित

29 चैत्र 1911 (श०)

संख्या-16 पटना, बुधवार, 19 अप्रील 1989 (ई०)

संकल्प : विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन तथा उनकी कार्य-प्रणाली के निरूपण के सम्बन्ध में ।

सं० 7/पी०एस०सी० 3-101 / 88 का०-2653

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

संकल्प

28 फरवरी 1989

विभिन्न राज्य सेवाओं / संवर्गों के पदों पर नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षाओं के संचालन एवं तत्संबंधी कार्यों में अत्यधिक वृद्धि के चलते बढ़ते कार्यभार तथा अन्य कार्यकलापों के भार को दृष्टिगत रखते हुए कार्मिकों की नियुक्ति / प्रोन्नति के मामलों में त्वरित निर्णय लेने के उद्देश्य से राज्य सेवाओं / संवर्गों के कई स्तरों के पदों

पर प्रोन्नति के मामले में त्वरित निर्णय लेने के उद्देश्य से राज्य सेवाओं / संवर्गों के कई स्तरों के पदों जिन पर प्रोन्नति के मामले में बिहार लोक सेवा आयोग से परामर्श लेना आवश्यक नहीं होगा, के सम्बन्ध में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग की अधिसूचना संख्या 1174, दिनांक 24 जनवरी, 1989 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग (कार्यसीमन) विनियमावली, 1957 के विनियम 7 (स) समाविष्ट होने के फलस्वरूप विभिन्न राज्य सेवाओं / संवर्गों के जिन पदों पर नियुक्ति / प्रोन्नति के मामले बिहार लोक सेवा आयोग के दायरे से बाहर रखा गया है, उन पदों पर नियुक्ति / प्रोन्नति के निमित्त चयन / अनुशंसा करने हेतु "विभागीय प्रोन्नति समिति" का गठन तथा उनकी कार्य-प्रणाली का निरूपण आवश्यक है ।

2. "विभागीय प्रोन्नति समितियों" के गठन तथा उनकी कार्य-प्रणाली के सम्बन्ध में पूर्ण विचार कर राज्य सरकार ने निम्नलिखित निर्णय लिया है :-

(1) बिहार लोक सेवा आयोग (कार्यसीमन) विनियमावली, 1957 के विनियम-7 में जो संशोधन किया गया है, वह सिर्फ राज्य सेवाओं / संवर्गों के लिए लागू होगा अर्थात् राज्य सेवाओं / संवर्गों के बाहर जो अन्य पद हैं, उनमें यथावत् पहले की भाँति जहाँ आवश्यक हो, लोक सेवा आयोग की अनुशंसा प्राप्त की जायगी । उसी प्रकार उपर्युक्त संशोधन के फलस्वरूप विभिन्न राज्य सेवाओं / संवर्गों के जिन पदों पर नियुक्ति / प्रोन्नति का मामला लोक सेवा आयोग के दायरा से बाहर नहीं गया है उन पदों पर भी पहले की भाँति जहाँ आवश्यक हो, लोक सेवा आयोग की अनुशंसा प्राप्त की जायगी । संशोधित विनियमावली बिहार न्यायिक सेवा के बारे में लागू नहीं होगा । संशोधित विनियमावली के विनियम-7 (स) की एक प्रति परिशिष्ट "क" के रूप में इसके साथ संलग्न है ।

(2) विभागीय प्रोन्नति समितियों के गठन के प्रयोजनार्थ सरकार के विभागों को चार समूहों में विभक्त किया गया है । प्रत्येक समूह के विभागों के लिए अलग-अलग विभागीय प्रोन्नति समिति / समितियाँ गठित की गयी हैं । सम्प्रति सभी विभागों के अधीन अलग सेवा / संवर्ग नहीं है । कुछ ही विभागों के अधीन सेवा तथा / अथवा संवर्ग है, अत: कालक्रम में समूह के किसी विभाग के अधीन सेवा / संवर्ग गठित होंगे तक सम्बन्धित कार्मिकों की नियुक्ति / प्रोन्नति के मामले में संबंधित समूह के लिए गठित विभागीय प्रोन्नति समिति राज्य सरकार को अनुशंसा देने के लिए सक्षम होगी । वर्त्तमान में विद्यमान राज्य सेवाओं / संवर्गों की सूची परिशिष्ट "ख" में अंकित है । भविष्य में कोई राज्य सेवा / संवर्ग गठित होने पर वह स्वत: परिशिष्ट "ख" में सम्मिलित किया गया समझा जायेगा ।

3. जैसा कि ऊपर कंडिका-2 (2) में उल्लेख किया गया है, सरकार के विभागों को चार समूहों में विभक्त किया गया है । इस प्रकार समूह में विभागों के प्रशासनाधीन राज्य सेवाओं / संवर्गों के पदों के निमित्त विभागीय प्रोन्नति समितियों का गठन परिशिष्ट "ग" के अनुसार किया जाता है । विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक के लिए कोरम 4 (चार) सदस्यों का होगा । परन्तु निजी सहायक संवर्ग के लिए गठित विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक के लिए कोरम 3 (तीन) सदस्यों का होगा ।

4. संबंधित विभागीय प्रोन्नति समिति के अध्यक्ष से तिथि एवं समय लेकर समिति के सदस्यों को बैठक की सूचना देना, बैठक के लिए टिप्पणी तैयार करना तथा अन्य सभी कागजात जैसे स्वच्छता प्रमाण-पत्र, चारित्री आदि अद्यतन कर अध्यक्ष एवं सदस्यों को देने की जिम्मेवारी संबंधित प्रशासी विभाग की होगी । इसी प्रकार बैठक के बाद अध्यक्ष की अनुमति लेकर बैठक की कार्यवाही तैयार करना और उस पर अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों का हस्ताक्षर प्राप्त करना भी प्रशासी विभाग की जिम्मेवारी होगी । विभागीय प्रोन्नति समिति के अध्यक्ष को यह अधिकार रहेगा कि वे इस संबंध में आवश्यक मार्गदर्शन अलग से भी दे सकेंगे ।

5. प्रशासी विभाग की यह जिम्मेवारी रहेगी कि प्रत्येक पंचांग वर्ष में होनेवाली रिक्तियों के विरुद्ध इसके पहले वर्ष के दिसम्बर तक विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा अगले वर्ष में प्रोन्नति देने के लिए एक पैनल तैयार करायें ताकि अगले वर्ष में होनेवाली रिक्तियों के विरुद्ध समय पर प्रोन्नति का आदेश निर्गत किया जा सके।

6. चूंकि वर्ष 1989 प्रारम्भ हो गया है, इसलिए 1989 के लिए सभी कार्रवाई 30 अप्रील, 1989 तक अवश्य ही पूरी कर ली जाय। तदनुसार वर्ष 1990 के लिए पैनेल दिसम्बर, 1989 तक अवश्य ही तैयार कर ली जायगी।

7. यह व्यवस्था तात्कालिक प्रभाव से लागू होगी।

8. इस संकल्प के निर्गत होने के फलस्वरूप पूर्व में निर्गत एतद् सम्बन्धी संकल्प / निदेश / परिपत्र आदि उस हद तक संशोधित समझे जायेंगे जिस हद तक इस संकल्प के प्रावधान के अनुसार आवश्यक हो।

आदेश – आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे राजकीय गजट में प्रकाशित कराया जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
एम० एल० मजुमदार, सचिव।

परिशिष्ट 'क'

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

अधिसूचना

24 जनवरी 1989

सं० 7/पी०एस०सी० 3-101/88-1-का०--1174– भारत के संविधान के अनुच्छेद 320 के खंड (3) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल नियुक्ति विभाग (सम्प्रति कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग) की अधिसूचना संख्या ए-8767, दिनांक 8 जुलाई 1975 के साथ प्रकाशित एवं समय-समय पर यथासंशोधित बिहार लोक सेवा आयोग (कार्य-सीमन) विनियमावली, 1957 में निम्नलिखित अतिरिक्त विनियम समाविष्ट करते हैं :–

संशोधन

विनियम 7 (अ) एवं 7 (ब) के नीचे 7 (स) निम्न रूप में समाविष्ट किया जाता है :–

"7 (स) राज्य सेवाओं / संवर्गों के विभिन्न वेतनमान में निम्न नियुक्तियों / प्रोन्नतियों को छोड़कर अन्य मामले में बिहार लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं होगा :–

(i) राज्य सेवाओं / संवर्गों की मूल कोटि (बेसिक ग्रेड) के पदों पर नियुक्ति / प्रोन्नति।

(ii) राज्य सेवाओं / संवर्गों के सुपरटाइम स्केल (विभिन्न सेवाओं / संवर्गों में इसके जो भी नामकरण किये गये हों), जिस-जिस में अनुमान्य हो, के प्रथम स्तर के पदों पर नियुक्ति / प्रोन्नति।

स्पष्टीकरण – सुपरटाइम स्केल वह वेतनमान है, जो वरीय प्रवर कोटि के वेतनमान के ठीक ऊपर का वेतनमान सम्बन्धित राज्य सेवाओं / संवर्गों में उपलब्ध हो।

(iii) किसी भी सेवा / संवर्ग में विभागाध्यक्ष के पद पद नियुक्ति / प्रोन्नति :

परन्तु यह कि यह अखिल भारतीय सेवाओं एवं बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों के विभागाध्यक्ष के पद पर नियुक्ति के लिए लागू नहीं होगा।

(iv) सचिवालय विभागों एवं संलग्न / सम्बद्ध कार्यालयों के सहायकों के संयुक्त संवर्ग के निबंधक तथा उसके समकक्ष पदों पर नियुक्ति / प्रोन्नति।

(v) सचिवालय के निजी सहायक संवर्ग में सचिव के पदें प्रर नियुक्ति / प्रोन्नति।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
एम०एल० मजुमदार, सचिव।

No. 7/PSC 3-101/88-P—1174

APPENDIX A

Department of Personnel and Administrative Reforms.

NOTIFICATION

The 24th January, 1989

In exercise of the powers conferred by the proviso to clause (3) or article 320 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is pleased to make the following amendments in the Bihar Public Service Commission (Limitation of Functions) Regulations, 1957 published, vide Appointment Department's (now Department of Personnel and Administrative Reforms) notification no. 8767, dated the 8th July, 1967.

AMENDMENTS

In the said regulation after regulation 7 (A) and 7 (B) regulation 7 (C) shall be inserted as below:—

"7. (C) It shall not be necessary to consult the Public Service Commission in the case of appointment / promotion to posts in different scales of pay of the State Services / Cadres except in the following cases :—

(i) In the case of appointment/ promotion to posts in the basic grade of State services / cadres,

(ii) In the cases of appointment / promotion to the posts in the first level of supertime scale (by whatever name such a scale is known in the service / cadre concerned), where admissible.

Explanation.—Supertime scale means the scale of pay which is available to the officers of the State Service Cadre concerned immediately above the senior selection grade scale of pay ;

(iii) In the cases of appointment / promotion to the post of a Head of the Department :

Provided that it shall not apply in the case of appointment to the post of Head of the Department of officers of the All India Services and the Bihar Administrative Services.

(iv) In the case of appointment / promotion to post of Registrar and other equivalent posts available to the members of the joint cadre of assistant of the Secretariat departments and attached/ amalgamated offices.

(v) In the case of appointment / promotion to the post of Secretary in the Cadre of personal assistant of the Secretariat.

By order of the Governor of Bihar,
M. L. MAZUMDAR, Secy.

परिशिष्ट 'ख'

राज्य सेवाओं / संवर्गों की सूची

(क) राज्य सेवायें

1. बिहार प्रशासनिक सेवा
2. बिहार पशुपालन सेवा
3. बिहार कृषि सेवा
4. बिहार सहकारिता सेवा
5. बिहार शिक्षा सेवा
6. बिहार अभियंत्रण सेवा
7. बिहार वित्त सेवा
8. बिहार वन सेवा
9. बिहार स्वास्थ्य सेवा
10. बिहार कारा सेवा
11. बिहार न्यायिक सेवा
12. बिहार श्रम सेवा
13. बिहार आरक्षी सेवा
14. बिहार निबंधन सेवा

(ख) राज्य संवर्ग

1. बिहार नियोजन संवर्ग
2. बिहार उत्पाद संवर्ग
3. बिहार मत्स्यपालन संवर्ग
4. बिहार भूतत्व संवर्ग
5. बिहार उद्योग संवर्ग
6. बिहार खनन संवर्ग
7. बिहार सांख्यिकी संवर्ग
8. बिहार नगर निवेश संवर्ग
9. बिहार प्रशिक्षण संवर्ग
10. सचिवालय विभागों एवं संलग्न / संबद्ध कार्यालयों के सहायकों का संयुक्त संवर्ग।
11. सचिवालय के निजी सहायकों का संयुक्त संवर्ग।

नोट – भविष्य में गठित होनेवाले राज्य सरकार के सेवा / संवर्ग भी इस सूची में समाविष्ट माने जायेंगे।

परिशिष्ट 'ग'

समूह (क)– विनियंत्रण संबंधी विभाग

1. मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग (निगरानी, निर्वाचन, प्रोटोकोल तथा मुख्यमंत्री सचिवालय सहित।)
2. गृह विभाग।
3. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग।
4. राजभाषा विभाग।
5. संसदीय कार्य विभाग।
6. वित्त विभाग।
7. खान एवं भूतत्व विभाग।
8. परिवहन एवं नागरिक उड्डयन विभाग।
9. सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग।
10. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग।
11. उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग।
12. साहाय्य एवं पुनर्वास विभाग।
13. विधि विभाग।

समूह (ख) – कार्य विभाग

1. जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई सहित)।
2. लोक-स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग।
3. पथ निर्माण विभाग।
4. भवन निर्माण एवं आवास विभाग।
5. ग्रामीण विकास विभाग (केवल ग्राम्य अभियंत्रण संगठन)।

समूह (ग) – विकासात्मक विभाग

1. योजना एवं विकास विभाग।
2. ग्रामीण विकास विभाग (ग्राम्य अभियंत्रण संगठन रहित)।
3. नगर विकास विभाग।
4. विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग।
5. औद्योगिक विकास विभाग।
6. ईख विभाग।
7. वन एवं पर्यावरण विभाग।
8. कृषि विभाग।
9. सहकारिता विभाग।
10. पशुपालन एवं मत्स्यपालन विभाग।
11. ऊर्जा विभाग।
12. पर्यटन विभाग।
13. 20-सूत्री कार्यक्रम विभाग।

समूह (घ) – सेवा विभाग

1. मानव संसाधन विकास विभाग ।
2. स्वास्थ्य विभाग ।
3. चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ।
4. परियोजना एवं सांस्थिक वित्त विभाग ।
5. श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग ।
6. खाद्य, आपूर्त्ति एवं वाणिज्य विभाग ।

परिशिष्ट - 'ग'

विभागों का समूहन तथा विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन ।

समूह "क" - विनियंत्रण संबंधी विभाग		**गठित विभागीय प्रोन्नति समिति**
1. मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग (निगरानी, निर्वाचन, प्रोटोकोल तथा मुख्यमंत्री सचिवालय सहित)	(क)	1. सदस्य, राजस्व पर्षद - अध्यक्ष सदस्यगण
2. गृह विभाग		2. सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग
3. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग		3. सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग
4. राजभाषा विभाग		4. संबंधित विभाग जिसके प्रशासनाधीन सेवा / संवर्ग के पदों के संबंध में विचार होना है उस विभाग के सचिव, बशर्ते कि वे अलग से इस समिति का सदस्य न हों ।
5. संसदीय कार्य विभाग		5. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के एक पदाधिकारी जो संयुक्त सचिव से निम्नतर के न हों ।
6. वित्त विभाग		6. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा मनोनीत अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के पदाधिकारी जो संयुक्त सचिव से न्यूनतर पंक्ति के न हों ।
7. खान एवं भूतत्व विभाग	(ख)	परन्तु बिहार प्रशासनिक सेवा के सुपर टाइम श्रेणी-।। एवं ।।। तथा बिहार आरक्षी सेवा के वरीय प्रवर कोटि के आरक्षी उपाधीक्षक के पदों के विभागीय प्रोन्नति समिति निम्न प्रकार गठित होगी :-
8. परिवहन एवं नागरिक उड्डयन विभाग		1. मुख्य सचिव - अध्यक्ष सदस्यगण
9. सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग		2. सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग
10. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग		3. मुख्य सचिव द्वारा मनोनीत 7300-7600 रु० वेतनमान में भा०प्र०से० के दो पदाधिकारी
11. उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग		4. सचिव, गृह विभाग (केवल आरक्षी उपाधीक्षक के लिए)
12. साहाय्य एवं पुनर्वास विभाग		5. आरक्षी महानिदेशक (केवल आरक्षी उपाधीक्षक के लिए)
13. विधि विभाग		6. कार्मिक विभाग द्वारा मनोनीत अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के एक पदाधिकारी जो संयुक्त सचिव के न्यूनतर पंक्ति के न हों ।

2. समूह ''ख'' - कार्य विभाग

1. जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई सहित)
2. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग
3. पथ निर्माण विभाग
4. भवन निर्माण एवं आवास विभाग
5. ग्रामीण विकास विभाग (केवल ग्राम्य अभियंत्रण संगठन)

3. समूह ''ग'' विकासात्मक विभाग

1. योजना एवं विकास विभाग
2. ग्रामीण विकास विभाग (ग्राम्य अभियंत्रण संगठन रहित)
3. नगर विकास विभाग
4. विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग
5. औद्योगिक विकास विभाग
6. ईख विभाग
7. वन एवं पर्यावरण विभाग
8. कृषि विभाग
9. सहकारिता विभाग
10. पशुपालन एवं मत्स्य पालन विभाग
11. ऊर्जा विभाग
12. पर्यटन विभाग
13. 20-सूत्री कार्यक्रम विभाग

समूह ''घ'' - सेवा विभाग

1. मानव संसाधन विकास विभाग
2. स्वास्थ्य विभाग
3. चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग
4. परियोजना एवं सांस्थिक वित्त विभाग
5. श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग
6. खाद्य, आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग

गठित विभागीय प्रोन्नति समिति

1. सचिव, जल संसाधन विभाग - अध्यक्ष
   सदस्यगण
2. सचिव, पथ निर्माण विभाग
3. सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग
4. अभियंता प्रमुख, भवन निर्माण एवं आवास विभाग
5. संबंधित प्रशासी विभाग, जिसके प्रशासनाधीन सेवा / संवर्ग के पदों के संबंध में विचार होना है उस विभाग के सचिव बशर्ते कि वे अलग से इस समिति के सदस्य न हों ।
6. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के एक पदाधिकारी जो संयुक्त सचिव से न्यूनतर न हों।
7. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा मनोनीत अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के एक पदाधिकारी जो संयुक्त सचिव के न्यूनतर पंक्ति के न हों ।

गठित विभागीय प्रोन्नति समिति

1. कृषि उत्पादन आयुक्त - अध्यक्ष
   सदस्यगण
2. सचिव, सहकारिता विभाग
3. सचिव, पशुपालन एवं मत्स्य विभाग
4. सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग
5. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के एक पदाधिकारी जो संयुक्त सचिव से न्यूनतर न हों ।
6. संबंधित प्रशासी विभाग, जिसके प्रशासनाधीन सेवा / संवर्ग के पदों के संबंध में विचार होना है उस विभाग के सचिव बशर्ते कि वे अलग से इस समिति के सदस्य न हों ।
7. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा मनोनीत अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के एक पदाधिकारी जो संयुक्त सचिव से न्यूनतर पंक्ति के न हों ।

गठित विभागीय प्रोन्नति समिति

1. अध्यक्ष, लोक उद्यम ब्यूरो - अध्यक्ष
   सदस्यगण
2. सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग
3. सचिव, स्वास्थ्य विभाग
4. संबंधित प्रशासी विभाग, जिसके प्रशासनाधीन सेवा / संवर्ग के पदों के संबंध में विचार होना हो, उस विभाग के सचिव बशर्ते कि वे अलग से इस समिति के सदस्य न हों ।

5. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के एक पदाधिकारी जो संयुक्त सचिव से न्यूनतर न हों।
6. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा मनोनीत अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के एक पदाधिकारी जो संयुक्त सचिव से न्यूनतर पंक्ति के न हों।

सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों के सहायकों के संयुक्त संवर्ग के निबंधक से नीचे स्तर के पदों पर प्रोन्नति के मामले पर अनुशंसा करने के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति निम्न प्रकार गठित होगी :-

(1) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के विशेष / अपर / संयुक्त / उप-सचिव जो संयुक्त संवर्ग के प्रभार में हों – अध्यक्ष

सदस्यगण

(2) वित्त विभाग का एक प्रतिनिधि जो उप-सचिव से न्यूनतर पंक्ति के न हों।

(3) मानव संसाधन विकास विभाग के स्थापना के प्रभारी पदाधिकारी जो उप-सचिव से न्यूनतर पंक्ति के न हों।

(4) जल संसाधन विकास विभाग के स्थापना के प्रभारी पदाधिकारी जो उप-सचिव से न्यूनतर पंक्ति के न हों।

(5) कृषि विभाग के स्थापना के प्रभारी पदाधिकारी जो उप-सचिव से न्यूनतर पंक्ति के न हों।

(6) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा मनोनीत अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के पदाधिकारी जो उप-सचिव से न्यूनतर पंक्ति के न हों।

सचिवालय निजी सहायक संवर्ग के सचिव स्तर से नीचे के पदों पर प्रोन्नति के मामले पर अनुशंसा करने के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति निम्न प्रकार गठित होगी :-

(क) आप्त सचिव के पदों के लिए –

(1) सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग – अध्यक्ष

सदस्यगण

(2) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के प्रभारी विशेष / अपर / संयुक्त / उप-सचिव।

(3) वित्त विभाग का एक पदाधिकारी जो संयुक्त सचिव से न्यूनतर पंक्ति का न हो।

(4) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा मनोनीत अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति का एक पदाधिकारी जो उप-सचिव से न्यूनतर पंक्ति का न हो।

(ख) वरीय निजी सहायक के पदों के लिए –

(1) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के प्रभारी विशेष / अपर / संयुक्त / उप-सचिव–अध्यक्ष।

सदस्यगण

(2) वित्त विभाग का एक प्रतिनिधि जो उप-सचिव से न्यूनतर पंक्ति का न हो।

(3) राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का एक पदाधिकारी जो उप-सचिव से न्यूनतर पंक्ति का न हों।

(4) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा मनोनीत अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति का एक पदाधिकारी जो उप-सचिव से न्यूनतर पंक्ति का न हो।

[13]

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

शुद्धि-पत्र

पटना-15, दिनांक 24 फरवरी, 1989

तिथि 5 फाल्गुन, 1910 (श०)

संख्या-7 / पी.एस.सी. 3-101/88 का० 2459 / कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग की अधिसूचना संख्या 1174 दिनांक 24.1.89 की कंडिका 7 (स) को निम्न प्रकार पढ़ा जाय :-

7. (स) राज्य सेवाओं / संवर्गों के विभिन्न वेतनमान में निम्न नियुक्तियों / प्रोन्नतियों को छोड़कर अन्य मामले में बिहार लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं होगा ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/- एम०एल० मजमुदार

सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक-7 / पी.एस.सी. 3-101/88 का० 2459 पटना -15, दिनांक 24 फरवरी, 89

प्रतिलिपि :- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित । 2. अनुरोध है कि इसकी 500 (पांच सौ) मुद्रित प्रतियाँ भेजने की कृपा की जाय ।

ह०/- अस्पष्ट

सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक-7 / पी.एस.सी. 3-101/88 का० 2459 पटना-15, दिनांक 24 फरवरी, 89

प्रतिलिपि :- सरकार के सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / बिहार लोक सेवा आयोग / उच्च न्यायालय, पटना / महालेखाकार, बिहार, पटना एवं रांची / कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (सभी प्रशाखा) को सूचनार्थ प्रेषित ।

ह०/- अस्पष्ट

वास्ते सरकार के संयुक्त सचिव ।

---

[14]

पत्रांक-9 / नि.1-1051/87-714-का०

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

श्री तारकेश्वर प्रसाद,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार, पटना / रांची ।

पटना, दिनांक 23 जनवरी, 1987

द्वारा :- वित्त विभाग (अनौपचारिक रूप से परामर्शित)

विषय :- मंत्रिपरिषद के सभी स्तर के मंत्रियों तथा विभागीय आयुक्तों एवं सचिवों के लिये वेतनमान (1350-50-1700-75-2000/- रु०) में सचिव के पदों का सृजन एवं उनपर कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के निजी सहायक संवर्ग के आप्त सचिवों को प्रोन्नति ।

महाशय,

निदेशानुसार मुझे सूचित करना है कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के नियंत्रणाधीन निजी

सहायक संवर्ग की बहुत दिनों से यह मांग चली आ रही थी कि उनके संवर्ग में वर्तमान स्वीकृत कनीय प्रवर कोटि एवं वरीय प्रवर कोटि के अतिरिक्त, प्रोन्नति के मार्ग प्रशस्त किये जायें। साथ ही विभागों एवं मंत्रिपरिषद के सभी स्तर के मंत्रियों के यहाँ बढ़ते हुए कार्यों एवं उनके आदेशों के संदर्भ में मंत्रियों एवं विभागीय आयुक्तों और सचिवों की सहायता हेतु उनके लिए उच्चस्तर के सचिव के पद की आवश्यकता भी महसूस की जा रही है।

2 - अन्य संवर्गों सहित, उपर्युक्त प्रश्न पर भी विचार करने हेतु सरकार ने श्री एन० नागमणि, विकास आयुक्त, बिहार की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया। समिति ने सचिवालय निजी सहायक संघ के प्रतिनिधियों से वार्ता कर एक समझौता के रूप में अपनी अनुशंसा दी जिस पर मंत्रिपरिषद की दिनांक 20-1-87 की बैठक में मंत्रिपरिषद का आदेश भी प्राप्त हुआ है।

3 - सरकार ने इस संबंध में निम्नवत निर्णय लिया है :-

(क) मंत्रिपरिषद के सभी स्तर के मंत्रियों तथा विभागीय आयुक्तों एवं सचिवों के लिये वेतनमान रु० 1350-50-1700-75-2000/- में संलग्न सूची के अनुसार कुल 77 सचिव के पदों का सृजन किया जाता है। ये पद आदेश निर्गत होने की तिथि से एक वर्ष के लिये अस्थायी रूप से सृजित माने जायेंगे। वर्तमान में वेतनमान 1350-2000 रु० या 1000-1820 रु० में सचिव के जो भी पद किसी भी पदनाम से सूची में अंकित विभागों / पदाधिकारियों के लिये पूर्व से सृजित हों, वे स्वतः समाप्त समझे जायेंगे। किन्तु उन पदों पर आप्त सचिव के संवर्ग से कार्यरत सचिव इन सृजित पदों के विरुद्ध अपना वर्तमान वेतन यथावत् प्राप्त करते रहेंगे।

(ख) (I) उपर्युक्त कंडिका (क) में सृजित पदों को सचिवालय निजी सहायक संवर्ग के आप्त सचिवों से जो वेतनमान रु० 940-1660/- में कार्यरत हैं, वरीयता-सह-योग्यता के आधार पर प्रोन्नति दे कर भरा जाय। प्रोन्नति देने में आरक्षण नीति तथा सरकार द्वारा प्रोन्नति संबंधी समय-समय पर निर्गत एवं लागू परिपत्रों का पालन किया जायगा।

(II) आप्त सचिव से सचिव के वेतनमान में प्रोन्नति हेतु वही कालावधि निर्धारित समझी जायगी जो सचिवालय के निबंधकों के लिए अवर सचिव के पद पर प्रोन्नति हेतु निर्धारित है।

(ग) इस स्वीकृत्यादेश द्वारा स्वीकृत सचिव के पद निजी सहायक संवर्ग में स्वीकृत कनीय प्रवर कोटि (20 प्रतिशत) एवं वरीय प्रवर कोटि (10 प्रतिशत आप्त सचिव के पद) के अतिरिक्त होंगे पर संवर्ग के स्वीकृत कुल बल में कोई वृद्धि नहीं होगी।

(घ) मंत्रियों एवं विभागीय आयुक्तों और सचिवों की संख्या में कमी होने की स्थिति में उनके सचिव के उतने पदों में भी स्वतः कमी हो जायगी एवं कार्यालय सचिवों को तदनुसार आप्त सचिव के वेतनमान में प्रत्यावर्तित किया जा सकेगा। यदि मंत्रियों एवं विभागीय आयुक्तों और सचिवों की संख्या में सरकार द्वारा वृद्धि की जायगी, तब उनके लिये उक्त वेतनमान में सचिवों का अतिरिक्त पद (कुल संवर्ग बल के अन्तर्गत) स्वीकृत किया जा सकेगा।

(ङ) मंत्रियों एवं विभागीय आयुक्तों तथा सचिवों के लिये वर्तमान निर्धारित मापदण्ड के अन्तर्गत ही उनके सचिव का उक्त स्वीकृत पद होगा एवं अतिरेक (surplus) आप्त सचिव / वरीय निजी सहायक / निजी सहायकों को अन्यत्र पदस्थापित किया जायेगा।

4 - इस आदेश द्वारा स्वीकृत सचिवों के पदों पर होने वाला व्यय बजट शीर्ष "252-सचिवालय-सामान्य सेवाएं-सचिवालय-कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग - पदाधिकारियों / कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते" मद में चालू वित्तीय वर्ष में विकलनीय होगा।

अनुलग्नक-यथोपरि।

विश्वासभाजन,
ह०/- तारकेश्वर प्रसाद
सरकार के संयुक्त सचिव।

पदों की सूची

क्र.	पदों का नाम	संख्या
1.	मंत्री / राज्य मंत्री	34
2.	मुख्य सचिव	1
3.	सदस्य, राजस्व पर्षद	1
4.	परामर्शी-सह-विकास आयुक्त	1
5.	औद्योगिक एवं संरचना विकास आयुक्त	1
6.	कृषि विकास आयुक्त	1
7.	मानव संसाधन विकास एवं समाज कल्याण आयुक्त	1
8.	क्षेत्रीय विकास आयुक्त, रांची	1
9.	आयुक्त एवं सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार	1
10.	आयुक्त एवं सचिव, ग्रामीण विकास विभाग	1
11.	आयुक्त एवं सचिव, वित्त विभाग	1
12.	आयुक्त एवं सचिव, नागरिक विकास एवं लो०स्वा०अभि० विभाग	1
13.	आयुक्त एवं सचिव, औद्योगिक विकास विभाग	1
14.	विशेष कार्य पदाधिकारी एवं प्रधान सचिव, कार्मिक विभाग	1
15.	आयुक्त एवं सचिव, निगरानी एवं लोक शिकायत	1
16.	सचिव, मंत्रिमण्डल (निर्वाचन) विभाग	1
17.	सचिव, मंत्रिमण्डल एवं समन्वय विभाग	1
18.	सचिव, गृह विभाग	1
19.	सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग	1
20.	सचिव, योजना एवं विकास विभाग	1
21.	सचिव, कल्याण विभाग	1
22.	सचिव, स्वास्थ्य विभाग	1
23.	सचिव, शिक्षा विभाग	1
24.	सचिव, लघु, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग विभाग	1
25.	सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग	1
26.	सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग	1
27.	सचिव, कृषि विभाग	1
28.	सचिव, सहकारिता विभाग	1
29.	सचिव, पशुपालन एवं मत्स्यपालन विभाग	1
30.	सचिव, ऊर्जा विभाग	1
31.	सचिव, लघु सिंचाई एवं विशेष कृषि कार्यक्रम विभाग	1
32.	सचिव, सिंचाई विभाग	1

33.	सचिव, पथ निर्माण एवं परिवहन विभाग	1
34.	सचिव, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग	1
35.	सचिव, साहाय्य एवं पुनर्वास विभाग	1
36.	सचिव, श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग	1
37.	सचिव, खाद्य, आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग	1
38.	सचिव, विधि विभाग	1
39.	सचिव, भवन निर्माण एवं आवास विभाग	1
40.	सचिव, युवा कार्यक्रम, खेलकूद एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम	1
41.	सचिव, स्वास्थ्य शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	1
42.	सचिव, जल संसाधन एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग	1
43.	सचिव, परियोजना एवं सांख्यिक वित्त विभाग	1
44.	सचिव, 20-सूत्री कार्यक्रम विभाग	1
		कुल - 77

---

[15]

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

संकल्प

पटना-15, दिनांक 29 अप्रैल, 1986

विषय :- सचिवालय सहायक विभागीय परीक्षा, 1983 में उत्तीर्ण सहायकों को, सहायक के रूप में कालावधि पूरी करने की तिथि से, भूतलक्षी प्रभाव से, प्रवर कोटि में प्रोन्नति तथा अन्य सुविधाएँ देने के संबंध में।

सचिवालय तथा सम्बद्ध कार्यालयों के सहायकों को, उनकी पहली नियुक्ति के बाद सहायकों की विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होना पड़ता है। इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद, पद की उपलब्धता के आधार पर, उन्हें सम्पुष्ट किया जाता है। तदोपरान्त जब वे सहायक के रूप में 8 वर्ष की कालावधि पूरी कर लेते हैं तो उन्हें प्रवर कोटि सहायक के रूप में प्रोन्नति दी जाती है।

2 - जून 1976 में सहायकों की विभागीय परीक्षा आयोजित की गयी थी, किन्तु उसके बाद अक्तूबर 1983 से पहले कोई विभागीय परीक्षा का आयोजन नहीं किया गया। लागू निर्णय के अनुसार, प्रति वर्ष दो बार जून एवं दिसम्बर माह में सहायक विभागीय परीक्षा आयोजित की जाती है। जो सहायक जून 1976 की सहायकों की विभागीय परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए थे, अथवा उसके बाद जिन्हें सहायक के रूप में नियुक्त किया गया था, को अक्तूबर 1983 के पूर्व सहायकों की विभागीय परीक्षा में बैठने का मौका नहीं मिला, जिसकी वजह से वे सहायक के पद पर सम्पुष्ट नहीं किये जा सके। सम्पुष्ट नहीं होने के कारण उन्हें प्रवर कोटि सहायक के रूप में भी प्रोन्नत नहीं किया जा सका, यद्यपि इनमें से कइयों ने प्रवर कोटि में प्रोन्नति हेतु कालावधि पूरी कर ली थी।

3 - दिसम्बर 1976 और अक्तूबर 1983 के बीच सहायकों की विभागीय परीक्षा नहीं आयोजित होने के चलते सेवा में सम्पुष्टि न होने तथा प्रवर कोटि में प्रोन्नति नहीं मिलने में इन सहायकों का दोष नहीं है । यदि प्रति वर्ष सहायकों की विभागीय परीक्षा आयोजित की जाती तो इनमें से कई सहायक परीक्षा में अवश्य उत्तीर्ण होते । इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार है कि जून 1976 के बाद, अक्तूबर 1983 में सहायकों की विभागीय परीक्षा में जिन सहायकों ने उत्तीर्णता प्राप्त कर ली है और जिन्होंने अक्तूबर 1983 के पूर्व निर्धारित कालावधि भी पूरी कर ली है, उन्हें 31 दिसम्बर 1976 के बाद तथा कालावधि पूरी करने की तिथि से, दोनों में जो बाद में हो, विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण समझा जाय । किन्तु, जिन सहायकों ने अक्तूबर 1983 की सहायकों की विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता नहीं प्राप्त की है, उन्हें यह लाभ नहीं दिया जाय ।

4 - नियमानुसार, अग्रणीत पदों पर प्रोन्नति हेतु आरक्षित वर्ग के सहायकों का ही प्रथम हक होता है । अतः, अनुसूचित जाति / जनजाति की श्रेणी के 1983 में परीक्षोत्तीर्ण सहायक, कालावधि पूरी करने की तिथि से, किन्तु वर्ष 1976 के बाद, अग्रणीत पदों पर प्रोन्नति के हकदार हो जाते हैं । अब यदि आरक्षित वर्ग के ऐसे सहायकों के भूतलक्षी प्रभाव से प्रवर कोटि सहायक के पदों पर उपर्युक्त के अनुसार प्रोन्नति दी जाती है, तो सामान्य वर्ग के उन प्रवर कोटि सहायक, जो अग्रणीत पदों के विरुद्ध पूर्व में प्रोन्नत किये गये हैं, को सहायक के पद पर प्रत्यावर्तित करना होगा । यह अप्रियकर स्थिति होगी ।

5 - उक्त स्थिति के निदान के लिये यही उचित है कि आरक्षित वर्ग के उन सहायकों को, जो उपर्युक्त के अनुसार पूर्व की तिथि से प्रवर कोटि में प्रोन्नति हेतु हर प्रकार से योग्य पाये जायँ और जिनके लिये अग्रणीत पद उपलब्ध हो, उन्हें प्रोन्नति देने के लिये छाया पदों का सृजन भूतलक्षी प्रभाव से किया जाय ताकि उन सहायकों को देय भूतलक्षी तिथियों के प्रभाव से प्रोन्नति का "नोशनल" लाभ दिया जा सके किन्तु वित्तीय लाभ नियमानुसार परीक्षा समाप्त होने की तिथि के अगले दिन अर्थात् दिनांक 31 अक्तूबर, 1983 के प्रभाव से दिया जाय ।

6 - उपर्युक्त प्रस्तावित व्यवस्था से एक श्रेणी के सहायकों के प्रोन्नति देने से दूसरी श्रेणी के प्रवर कोटि में प्रोन्नत सहायकों को अपने मूल पद पर प्रत्यावर्तित होने की अप्रियकर स्थिति उत्पन्न नहीं होगी । साथ ही, यदि सामान्य कोटि में भी कहीं प्रवर कोटि का पद वर्ष 1983 के पहले से ही रिक्त हो, तो सामान्य कोटि के ऐसे उत्तीर्ण सहायकों को भी, उपर्युक्त के अनुसार भूतलक्षी तिथि के प्रभाव से प्रोन्नति की सुविधा दी जाय ।

7 - अतः ऊपर की कंडिकाओं में वर्णित स्थिति को ध्यान में रखते हुए सम्यक् विचारोपरान्त सरकार ने निर्णय लिया है कि :-

अक्तूबर, 1983 की सहायकों की विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण अनुसूचित जाति / जनजाति तथा गैर-आरक्षित सहायकों को, सहायक के पद पर निर्धारित कालावधि पूरी करने की तिथि से किन्तु 31 दिसम्बर, 1976 के बाद, (अनुसूचित जाति / जनजाति की रिक्तियों के अग्रणीत होने के फलस्वरूप तथा गैर-आरक्षित को अनुमान्य रिक्ति, यदि उपलब्ध हो, के फलस्वरूप, पदों की उपलब्धता के अनुसार, प्रवर कोटि में भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति का नोशनल लाभ दिया जाय, किन्तु प्रवर कोटि में उन्हें देय वेतन वर्ष 1983 की विभागीय परीक्षा समाप्त होने के एक दिन बाद की तिथि अर्थात् दिनांक 31 अक्तूबर, 1983 से दिया जाय । इस निमित्त तत्काल अनुपलब्ध, किन्तु अग्रणीत पदों के विरुद्ध आवश्यकतानुसार छाया पदों का भी सृजन किया जाय ताकि गैर आरक्षित श्रेणी के प्रवर कोटि सहायकों को प्रत्यावर्तित न होना पड़े ।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के एक विशेषांक में प्रकाशित कराया जाय तथा प्रतिलिपि सभी विभागों / विभागाध्यक्षों / प्रमण्डलायुक्त / मुख्य वन संरक्षक, रांची एवं महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित की जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह०/- एन० के० अग्रवाल
सरकार के सचिव ।

ज्ञाप सं०-10/स्था.-2026/83 का०-4830 पटना, दिनांक 29 अप्रैल, 1986

प्रतिलिपि :- सरकार के सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमण्डलायुक्त / मुख्य वन संरक्षक, रांची एवं महालेखाकार, बिहार, रांची / पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाइ हेतु प्रेषित ।

ह०/- महेश प्रसाद
सरकार के विशेष सचिव ।

---

[16]

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

3 फाल्गुन 1907 (श०)

(सं० पटना 97) पटना, शनिवार 22 फरवरी 1986

संख्या–10 परी०–1017/85–192

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

संकल्प

19 फरवरी, 1986

विषय– सचिवालय एवं संबद्ध कार्यालयों के सहायकों की सशर्त्त कालबद्ध प्रोन्नति ।

वित्त विभाग के संकल्प संख्या 4245, दिनांक 16 जुलाई, 1985 के साथ पठित उनके संकल्प संख्या 10770, दिनांक 30 दिसम्बर, 1981 की कंडिका 8 में प्रावधान है कि वैसे सरकारी सेवकों को जिनका अधिकतम वेतनमान 2,000 रुपये से अधिक नहीं है, 10 वर्ष की सेवावधि पूरी करने पर प्रथम तथा 25 वर्ष की सेवावधि पूरी करने पर दूसरी कालबद्ध प्रोन्नति दी जायगी । ऐसी कालबद्ध प्रोन्नति देने की यह शर्त्त है कि उच्च पद पर प्रोन्नति हेतु सभी अर्हताएँ वे पूरी करते हों ।

2. सचिवालय एवं संबद्ध कार्यालयों के सहायकों को अन्य अर्हताओं के साथ कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या : 1147, दिनांक 21 दिसम्बर, 1978 की कंडिका-2 (घ) में निरूपित प्रावधान के अनुसार सचिवालय सहायक विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त करने पर ही आगे के पदों पर प्रोन्नति दी जा सकती है । सचिवालय अनुदेश भाग (2) के नियम 2.1 (*viii*) में उच्चवर्गीय सहायक (या सहायक) विभागीय परीक्षा प्रत्येक छ: माह पर लिये जाने का प्रावधान है । कतिपय कारणों से वर्ष 1975 से 1985 की अवधि के बीच

तीन बार ही उच्चवर्गीय सहायक / सहायक विभागीय परीक्षा का आयोजन हुआ जब कि नियमित रूप से प्रत्येक छः माह पर परीक्षा होने से इसकी कुल संख्या अबतक 19 होती। सचिवालय एवं संबद्ध कार्यालयों में ऐसे अनेक सहायक हैं जिन्होंने अपनी सेवावधि 10 वर्ष तो पूरी कर ली है किन्तु सहायक विभागीय परीक्षा में अभी तक उत्तीर्ण नहीं हुए हैं।

3. सचिवालय सहायकों की माँग रही है कि चूँकि सहायक विभागीय परीक्षा का नियमित रूप से आयोजन नहीं हो सका, अतएव इसमें उनका कोई दोष नहीं मानते हुए उन्हें सहायक के पद पर प्रथम कालबद्ध प्रोन्नति की सुविधा दी जाय।

4. अतः ऊपर की कंडिकाओं में वर्णित स्थिति को ध्यान में रखते हुए सम्यक विचारोपरान्त सरकार ने निर्णय लिया है कि :–

विशेष परिस्थिति में सचिवालय एवं संबद्ध कार्यालयों के ऐसे सभी सहायकों को जो 10 वर्षों की सेवावधि पूरी करने पर किन्तु विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता नहीं प्राप्त करने के बावजूद, अन्य सभी अर्हताएँ पूरी करते हैं, उन्हें इस शर्त्त पर प्रवर कोटि सहायक के पद पर कालबद्ध प्रोन्नति दे दी जाय कि वे अगली दो सहायक विभागीय परीक्षाओं में उत्तीर्णता प्राप्त कर लेंगे, अन्यथा जिस तिथि से दूसरा परीक्षाफल घोषित होगा उस तिथि को यदि इस संकल्प के अनुसार कालबद्ध रूप से प्रोन्नत सहायक इन परीक्षाओं में उत्तीर्णता प्राप्त नहीं करते हैं, तो उन्हें दूसरी परीक्षाफल की घोषणा की तिथि से सहायक के अपने मूल पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जायेगा। कालबद्ध प्रोन्नति के संबंध में वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्रों की अन्य शर्त्तें यथावत् रहेंगी।

आदेश– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के एक विशेषांक में प्रकाशित कराया जाय तथा प्रतिलिपि सभी विभागों / विभागाध्यक्षों / प्रमण्डलायुक्त / मुख्य वन संरक्षक, रांची एवं महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित की जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह०/- एन० के० अग्रवाल,
सरकार के सचिव।

---

[17]

ज्ञाप संख्या 10/परी०-407/80/का०-595

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

सेवा में,

सरकार के सभी विभाग / विभागाध्यक्ष / सभी प्रमण्डलायुक्त / मुख्य वन संरक्षक, रांची।

पटना 15, दिनांक 6 जुलाई, 1981

विषय :- सचिवालय एवं सम्बद्ध कार्यालयों में प्रवर कोटि सहायक के पद पर प्रोन्नति देने के संबंध में।

निदेशानुसार अधोहस्ताक्षरी को कहना है कि वर्ष 1962 से विभिन्न स्रोतों से नियुक्त अस्थायी सहायकों के स्थायीकरण के संबंध में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या 257 दिनांक 30-3-1981

द्वारा निर्णय संसूचित किया गया है । ऐसे सम्पुष्ट सहायकों के बारे में कतिपय विभागों से इस बिन्दु पर मंतव्य की अपेक्षा की गई कि इन्हें प्रवर कोटि सहायक के पद पर कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या 1447, दिनांक 21-12-1978 के आधार पर प्रोन्नति के लिए सहायक विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त करना है या नहीं ।

2. उल्लेखनीय है कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या 1447 दिनांक 21-12-1978 की कंडिका (घ) में स्पष्ट अंकित है कि "प्रवर कोटि सहायकों के पद पर प्रोन्नति के लिए सहायक विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होना एवं सम्पुष्ट होना अनिवार्य है ।" स्पष्ट है कि प्रवर कोटि सहायक के पद पर प्रोन्नति हेतु दोनों शर्तों को पूरा करना है । संकल्प संख्या-257 दिनांक 30-3-1981 में अस्थायी सहायकों को सम्पुष्टि हेतु परीक्षा से ही सिर्फ छूट दी गयी है । अतएव प्रवर कोटि सहायक के पद पर प्रोन्नति के लिए सचिवालय सहायक विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है ।

ह०/- वी० जयशंकर
सरकार के संयुक्त सचिव ।

❑ ❑ ❑